# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 56/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. मूलचन्द पुत्र आनन्दी लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उमाड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

## आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

**1. श्री अनिल कुमार शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर सें।**

**नि र्ण य** **दिनांक – 04.12.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 0.54है0 में हिस्सा 1/2 वाके ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ व भूमि ख0नं0 468 रकबा 2.17है0 में हिस्सा 1/2 वाके ग्राम नाक्यावाली पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वादी की भूमियां कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। उक्त भूमियों में वादी का नाम मूरलीधर दर्ज है जबकि वादी का सही नाम मूलचन्द है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड में नाम मूलचन्द दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप सें मूरलीधर दर्ज हो गया है एवं दुरूस्त होने योग्य हैं। अतः दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण वादी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त दुरूस्ती किये जाने सें इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः आवेदन बाबत रिकोर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदनस्वीकार कर वादी/प्रार्थी का नाम मूरलीधर के स्थान पर मूलचन्द राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम

3-12

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर मूरलीधर के स्थान पर मूलचन्द दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार " मूरलीधर पुत्र आनन्दीलाल का नाम राजस्व ग्राम उमाड़ा की जमाबन्दी में नामा0 संख्या 86 दिनांक 15.09.1971 बेचान के द्वारा सुन्दरलाल पुत्र सावरराम के स्थान पर मुरलीधर दामोदर पुत्रगण आनन्दीलाल के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत हुआ था। जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2026–29 में मुरलीधर पुत्र आनन्दीलाल के नाम से ही हुआ है जमाबन्दी संवत 2026–29 से वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–79 में लगातार मुरलीधर पुत्र आनन्दीलाल नाम चलता आ रहा है। वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता महचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में वादी का नाम मूलचन्द पुत्र आनन्दी लाल दर्ज है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न साक्ष्यों के आधार पर मूरलीधर के स्थान पर मूलचन्द की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा पेश किया गया शपथ पत्र के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उमाड़ा तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 0.54 है0, व ग्राम नाक्यावाली पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 468 रकबा 2.17 है0 में खातेदार प्रार्थी का नाम मूरलीधर पुत्र आनन्दीलाल के स्थान पर मूलचन्द पुत्र आनन्दीलाल जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner